भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3825
दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

पीसीओएस की शुरुआती पहचान और प्रबंधन

3825. श्रीमती सुधा मूर्ती:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किशोरी लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) की उच्च प्रचलन दर और इससे जुड़े दीर्घकालीन चयापचयी, प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों वाले अध्ययनों पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या किशोरियों में पीसीओएस के निदान और प्रबंधन के लिए कोई राष्ट्रीय दिशा-निर्देश मौजूद हैं, और यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के दिशा-निर्देशों को तैयार करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या मौजूदा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत पीसीओएस से संबंधित शुरुआती जांच, परामर्श और जीवनशैली मार्गदर्शन के लिए कोई तंत्र मौजूद है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) एक ऐसी स्थिति है जो किशोरियों सहित प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करती है और प्रजनन, चयापचय और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 10-19 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना है, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले और स्कूल में ना पढ़ने वाली, विवाहित और अविवाहित किशोरियाँ शामिल हैं। यह कार्यक्रम पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, गैर-

संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों जो पीसीओएस जैसी स्थितियों से संबंधित हैं, को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है।

आरकेएसके के तहत, देश भर में किशोरी हितैषी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किशोरियों को पोषण, स्वस्थ जीवनशैली, मासिक धर्म स्वच्छता, पौष्टिक और संतुलित आहार के घटक और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम सहित किशोरियों से संबंधित प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों पर परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्यता कार्यक्रम (एसएचडब्ल्यूपी) के तहत, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता राजदूत के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयी बच्चों और किशोरियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें पोषण, शारीरिक गतिविधि और भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता सुनिश्चित करने और किशोरियों, उनके अभिभावकों और अन्य हितधारकों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और सामुदायिक मंचों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री साझा की जाती है।
